होता है, और वहां पर कोई कारखाना न होने के कारण पटसन उत्पादकों को पटसन मजबूरन अपनी उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर बेचना पड़ता है;

- (ख) क्या सरकार इस जिले में, विशेष कर वनमाखिया और घमदाहा में पटसन पर आघारित उद्योगों को लगाने पर विचार करेंगी; और
- (ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा): (क) यह सच है कि बिहार में पुणिया जिला देश में सबसे बड़ा पटसन उत्पादक क्षेत्र है और यह जिला परम्परागत तौर पर बिहार में अन्य जिलों की अपेक्षा बेहतर क्वालिटी के कच्चे पटसन का उत्पादन करता है जिसके लिये पुणिया जिला में पटसन उपजकर्ताओं को बिहार में अन्य जिलों के उपजकर्ताओं को अपेक्षा यथानुपात तौर पर उच्च कीमतें मिलती हैं।

(ख) और (ग) बिहार में पहले ही तीन पटसन मिलें हैं जिनमें से दो कटिहार में स्थित हैं जो पुणिया के बिल्कुल नजदीक है। इसके अलावा, सरकार ने पहले ही बिहार में दो नई पटसन मिलें एक फोरबेशगंज में तथा दूसरी किशनगंज में स्थापित करने के लिये आशय पत्र मंजूर कर दिये हैं। पुणिया जिले में एक नई पटसन मिल की स्थापना के लिये किसी नये प्रस्ताव पर उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखकर विचार करना होगा।

## Embezzlement of Government/Public Money by CEO, Babina

4204. SHRI VISHWANATH SHARMA: Will the Minister of DEFENCE be pleased state:

- (a) whether the Cantt. Board Babina meeting which was held on 9 May, 1983 has resolved after going through the preliminary inquiry that the purchase of diesel/mobile and stores by the Cantonment Executive Officer Babina at Babina was forged and embezzlement of Government/Public money amount to Rs. 20,000;
- (b) that 'Inquiry' into loss under rule 14 of Account Code was to be made and matter referred to the Director/GOC-in-Chief, Lucknow but the same has not enquired into by GOC-in-Chief, Lucknow, the reason thereof;
- (c) whether CEO Babina has not been suspended so far if so, the reasons thereof; and
- (d) whether the matter would be referred to C.B.I. for investigating such repeated happenings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) and (b) An Inquiry into loss amounting to approximately Rs. 20,000/- on account of alleged embezzlement and fraud was conducted by a committee appointed by the Cantonment Board, Babina under Rule 14 of the Cantonment Account Code, 1924. The Committee submitted its report on 7.5.1983. The recommendation of the Committee are now under consideration of the GOC-in-C, Central Command.

(c) and (d) Do not arise.